Email id -
seeudc1gzb@gmail.com
CUG Mob.-9193320111
CIN:U31200UP2003SGC027458

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
ए–ब्लॉक, हाईडिल कॉलोनी, कविनगर,
गाजियाबाद।

पत्रांक 2765/वि0न0वि0म0–प्रथम/गा0बाद दिनांक 20/1/24

विषयः–विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक
अमर उजाला, नई दिल्ली।

विज्ञापन व्यवस्थापक
वीर अर्जुन, गाजियाबाद।

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र के एक अंक में आपके यह उपलब्ध छोटे से छोटे टाइप और कम से कम स्थान में दो कॉलम साइज में दिनॉक **21.01.2024** तक को प्रकाशनार्थ संलग्न विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। हैडिंग व नीचे के नाम व पते में भी बडा टाइप न लगायें तथा नाम व पता एक ही लाइन में छापें। विज्ञापन में शीर्ष पर पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 का मोनोग्राम एंव सबसे नीचे इस आदेश की संख्या व दिनॉक भी छोटे से छोटे टाईप में अवश्य प्रकाशित करें। इस निर्देशों के विपरीत छपे विज्ञापनों के बीजकों में आवश्यक कटौती करने के लिए पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 बाध्य होगा।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचना जैसे–बिजली बंद रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा ई–निविदा सूचनाओं का प्रकाशन ई–निविदा हेतू निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतू प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क की बीजक तीन प्रतियों मे अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतू प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन भुगतान सम्भव न होगा।
3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी विज्ञापन का प्रकाशन हिन्दी भाषा में 8–10 प्वाइंट टाईप में एक ही कॉलम में किया जाये। अंग्रेजी भाषा सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में अनुवाद के पश्चात ही करें जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्वतः एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बधित बीजक का सत्यापन भुगतान नही किया जायेगा।
5. टेन्डर/सूचना इत्यादि यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन देय स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन प्रकाशित न करें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्व इस आशय से सूचना देने का कष्ट करें।

विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाईप में "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" का नारा तथा विद्युत चोरी का हेल्प लाइन नम्बर अवश्य दें।

संलग्नकः–विज्ञापन सामग्री

भवदीय

(महफूज आलम)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक 2765/ वि0न0वि0मण्डल–प्रथम/गा0बाद **दिनांकः–** 20/01/24

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को निगम की वेबसाईट पर डलवाने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता(वि0),गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ। (ई–मेलः–propvvnlmrt@gmail.com)
4. सम्बन्धित निविदा पत्रावली।

(महफूज आलम)
अधीक्षण अभियन्ता

पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि0

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

ई–निविदा संख्याः–**52/2023-24/EUDC-1GZB**

धरोहर राशि :–रू0–2300.00

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–नवम, गा0बाद के कार्यक्षेत्र में ताज हाईवे के किनारे राहुल विहार मेन सड़क तक 4 नग 400 केवीए0 वितरण परिवर्तकों को स्थानान्तरित करने सम्बन्धी कार्य हेतु आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 05.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जा सकती है एवं 05.02.2024 को 16:00 बजे व उसके पश्चात खोली जायेंगी।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। अर्हता सम्बन्धी विस्तृत सूचना, तिथि, धरोहर राशि, संशोधन/विस्तार तिथि आदि **https://etender.up.nic .in** एवं निगम की वेबसाईट **www.pvvnl.org** पर देखा जा सकता है।

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम,गाजियाबाद

Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

"राष्ट्रहित में बिजली बचायें"

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि

लीन ई-निविदा सूचना ई-निविदा संख्याः - 52/2023-24 / EUDC-I
राशि :- रू०-2300.00 विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-नवम, गा०
में ताज हाईवे के किनारे राहुल विहार मेन सड़क तक 4 नग 400
परिवर्तकों को स्थानान्तरित करने सम्बन्धी कार्य हेतु आमंत्रित की जाती
05.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जा सकती
.2024 को 16:00 बजे व उसके पश्चात खोली जायेंगी । अधोहस्ताक्षर
भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। अर्हता सम्बन्धी विस्तृत सूचन
राशि, संशोधन/विस्तार तिथि आदि https://etender.up.nic.in ए
साइट www.pvvnl.org पर देखा जा सकता है। राष्ट्र हित में
। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गा
65 दिनांक 20/01/2024

बेंगलुरु हवाई अड्डे से फर्जी वीजा मामले में व्यक्ति गिरफ्तार

नई दिल्ली, (वीअ)। दिल्ली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज़ वीजा गिरोह का भंडाफोड़ करने के मामले में कर्नाटक के बेंगलुरु से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया सादिकुल्ला बेग को बृहस्पतिवार को दुबई से लौटने पर बेंगलुरु हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि पंजाब के लुधियाना में फर्जी वीजा के एक मामले में बेग का नाम सामने आया था जिसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि लुधियाना के हरविंदर सिंह धनोआ के नाम से एक यात्री कुछ महीने पहले एक एजेंट मुस्कान उर्फ मनप्रीत कौर द्वारा प्रदान किए गए फर्जी कनाडाई वीजा पर यात्रा करते हुए पाई गई थी। अधिकारी के अनुसार, पुलिस ने इसके बाद मनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया, जिसने खुलासा किया कि उसने बेंगलुरु स्थित एक अन्य एजेंट सादिकुल्ला बेग को इसके लिए पांच लाख रुपये का भुगतान किया था। उन्होंने बताया कि कई छापे मारे गए लेकिन फिर भी बेग का पता नहीं चला। इसके बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया। एक अन्य पुलिस अधिकारी के अनुसार, बेग ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि फर्जी वीजा स्टिकर उसे दुबई स्थित एक एजेंट ने उपलब्ध कराए थे। उन्होंने बताया कि आरोपी और उसके सहयोगियों ने आसानी से पैसा कमाने के लिए लोगों को धोखा दिया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की इसी तरह के अन्य मामलों में संभावित संलिप्तता का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

गाजियाबाद पुलिस ने मजदूर के सात हत्यारोपी किए गिरफ्तार

गाजियाबाद, (वीअ)। गाजियाबाद थाना टोनिका सिटी पुलिस ने पचलोक गांव में हुई मजदूर नदीम की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने सात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन सातों लोगों ने ट्रैक्टर में बैठने को लेकर नदीम व उसके साथियों की पिटाई की थी। जिससे घायल होने की वजह से नदीम के इलाज को ले जाते समय मौत हो गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे के पाईप, सरिया व लकड़ी के डंडे बरामद किए हैं। 17 जनवरी को थाना टोनिका सिटी के अगरौला गांव के पास बंगाल और सहारनपुर के मजदूर काम खत्म कर ट्रैक्टर में बैठकर पचलोक गांव जा रहे थे। तभी बंगाल के कुछ मजदूर ट्रैक्टर में नहीं बैठ पाए और ट्रैक्टर में बैठने को लेकर सहारनपुर और बंगाल के मजदूरों में विवाद हो।

विवाद इतना बढ़ा की जमकर मारपीट होने लगी पहले अगरौला गांव के पास मारपीट हुई फिर दोबारा कहासुनी होने के बाद पचलोक गांव के पास मारपीट हुई जिसमें सहारनपुर निवासी नदीम और उसके 6 साथी घायल हो गए। जहां घायल नदीम को इलाज को ले जाते समय मौत हो गई। नदीम की मौत के बाद उसके भाई ने रहमत सात लोगों पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने अपने नाम अरूप बर्मन, राजा बर्मन, उत्तम सरकार, पूर्णिमल बर्मन, हालिम बर्मन, टोरन राय, राधु बर्मन को गिरफ्तार कर लिया गया सभी लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले है पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार हत्या आरोपियों ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली में बैठने को लेकर हमारा नदीम व अन्य लोगों से झगड़ा हो गया था। उसी झगड़े को लेकर पचलोक गांव के सामने पिलर के पास प्लांट परिसर रहने के स्थान पर हम लोगों में आपस में फिर से मारपीट हुई।

एंटी करप्शन ब्यूरो ने थानेदार को चालीस हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडा

रोहतक (आरिफ शर्मा)। हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार चलाया जा रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक ने जहां पिछले सप्ताह में दो लाख रुपए कि रिश्वत लेते हुए झज्जर जिले के एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था वहीं आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने झज्जर जिला के बेरी पुलिस स्टेशन में 40000 की रिश्वत लेते हुए एएसआई राम अवतार को रंगे हाथों पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक के पुलिस अधीक्षक जयबीर सिंह राठी ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उसे रंगे हाथों पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। एएसआई राम अवतार द्वारा झज्जर के बेरी पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में आरोपियों की गिरफ्तारी करने का दबाव बनाया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी न करने के बदले में एएसआई राम अवतार द्वारा 40 हजार की रिश्वत की मांग की गई। मामले की पुष्टि करते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए योजना बनाई गई और उसे रंगे हाथों पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई। यह पूरी कार्यवाही गवाहों के समक्ष पूरी पारदर्शिता बरतते हुए की गई। इस मामले में आरोपी के खिलाफ रोहतक के एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर उसके पास से रिश्वत के 40 हजार रुपए भी बरामद किए गए है।

किसान सभा ने अपने जैतपुर ऑफिस पर किसान मजदूर दिवस मनाया

मजदूर संगठन एकजुट होकर मोर्चा बनाकर अपने मुद्दों पर संघर्ष और लड़ाई चला रहे हैं।

ग्रेटर नोएडा, (वीअ)। 30 जनवरी को किसानों के 10 प्लाट एवं अन्य मांगों को लेकर किसान सभा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर हल्ला बोलगी। आज ही के दिन 1982 को 10 किसान और मजदूर शहीद हुए थे जिनमें से तीन किसान उत्तर प्रदेश के थे उनकी याद में हर वर्ष मजदूर किसान दिवस मनाया जाता है इस मौके पर किसान सभा के संयोजक [illegible] ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों ने और मजदूरों ने न केवल देश का निर्माण किया है बल्कि देश की राजनीति को दिशा देने का काम भी किया है आज जब पूरे देश का धर्म की राजनीति में झोंकने का कार्य हो रहा है ऐसे में किसान सभा और तमाम किसान

किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास में किसी भी मौके से ज्यादा आज किसानों मजदूरों की एकता की आवश्यकता है आज का दिन किसान मजदूर एकता का प्रतीक है 1982 में आज ही के दिन सभी किसानों मजदूरों के आह्वान पर भारत बंद रखा गया था जिसमें 10 लोग शहीद हुए थे उनकी याद में किसान मजदूर दिवस मनाया जाता है आगामी कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं ऐसे में किसानों मजदूरों सामाजिक न्याय के मुद्दों पर संघर्ष करने की उन्हें चुनावी मुद्दा बनाने की आवश्यकता है।

इसी सिलसिले में ग्रेटर नोएडा के किसान 30 जनवरी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 10 परसेंट प्लाट, नए कानून को लागू करने की मांग एवं अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे बीजेपी सरकार गौतम बुध नगर के अधिग्रहण से प्रभावित किसानों की मांगों की अनदेखी कर रही है।

वाहन चोरी का आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद (वीअ)। अपराध शाखा एनआईटी प्रभारी नरेश कुमार की टीम ने वाहन चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी हरेन्द्र उर्फ हरवीर वासी गांव खंदौली को अपने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना से बड़खल झील चौक से गिरफ्तार किया गया है। चोरी की मोटरसाइकिल को 13 जनवरी पुरानी मस्जिद सेक्टर-48 के पास से लावारिस अवस्था में बरामद किया गया था। आरोपी ने मोटरसाइकिल को शर्मा चौक एसजीएम नगर के पास से चोरी किया था। मामला थाना एनआईटी में दर्ज किया गया था। चोरी की मोटरसाइकिल को माननीय अदालत के आदेश पर शिकायतकर्ता के हवाले किया जा चुका है।

सोनीपत पुलिस ने चलाया सड़क सुरक्षा माह अभियान

सोनीपत (राजेश आहूजा)। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और कार्यालय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त हिदायतों के अनुरूप पुलिस कमिश्नर सोनीपत श्री सतीश बालन के दिशा-निर्देशानुसार में सोनीपत पुलिस ने 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन की सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना व यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखना है। पुलिस प्रवक्ता सोनीपत ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय सोनीपत विरेन्द्र सांगवान के मार्गदर्शन व सहायक पुलिस आयुक्त यातायात एवं मुख्यालय सोनीपत राहुल देव के नेतृत्व में सोनीपत पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा सड़क सुरक्षा माह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान मुख्यत: 35 वर्ष की आयु तक के युवाओं में अधिक जागरूकता पैदा की जा रही है। जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं व छात्रों को पोर्टल बारे जागरूक करते हुए ऑनलाईन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने की ओर ध्यान केन्द्रित कराया जा रहा है। दुपहिया वाहन पर हैलमेट/ हैलमेट लगाने, पीछे से टक्कर लगने से बचाने के लिए ट्राली, ट्रकों इत्यादि पर रैड़ी रिफ्लेक्टर लगाकर व मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत सख्ती बरती जाकर यातायात नियमों की पालना करने की ओर आमजन को अग्रसर किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों पर कार्यशाला, नाटक इत्यादि का आयोजन करवाकर व सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली सूचनात्मक सामग्री जैसे वीडियो क्लिप, संदेश आदि समाचार पत्रों, रेडियो व टेलीविजन के माध्यम से प्रसारण करवाकर भी आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यातायात पुलिस टीम ने सड़क सुरक्षा उपायों और नियमों पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, गांव असावरपुर जिला सोनीपत में जाकर छात्रों से मुलाकात की व यातायात नियमों व उनकी उपयोगिता के प्रति जागरूक करके अपने जीवन में अमल करने की सीख दी। इसके अलावा आमजन के सख्ती से समझाने के लिये बिना हलमेट दोपहिया वाहन चला रहे 46 चालकों के मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत चालान भी किये।

साईबर ठगी करने के दो आरोपी 6 दिन के रिमाण्ड पर

पुलिस आयुक्त सोनीपत श्री सतीश बालन के नेतृत्व में जिला के थाना साईबर क्राईम सोनीपत की पुलिस टीम ने टेलीग्राम पर लिंक भेजकर कमीशन का लालच देकर साईबर ठगी करने की घटना में शामिल दो आरोपीयों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अमित पुत्र प्रेम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश व सुरविन्द पुत्र नाहर सिंह वासी शंखावत पार्क जयपुर राजस्थान के रहने वाले है। नीरज पुत्र ओमप्रकाश वासी गांव रोहट जिला सोनीपत ने थाना साईबर क्राईम सोनीपत में शिकायत दी कि 8 नवम्बर को मेरे टेलीग्राम पर पर्यटन पार्क नाम की लड़की का मैसेज आया और ऑनलाइन काम करने को कहा और मुझे काम व कमीशन के बारे में बताया और मेरे पास एक लिंक भेजा और टेलीग्राम ग्रुप फ्लाइट नेटवर्क 5040 ग्रुप में जुड़वा दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे लिंक व कोड भेजकर काम शुरू करने को कहा गया। काम में मुझे इस लिंक पर खोल कर टिकट बुकिंग को डिजिटल प्रमोट करना था और इसके बदले मुझे 40/- रुपये या 45/ रुपये या 50/- रुपये प्रति टिकट कमीशन मिलना था।

स्वामी दयानंद पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए वोधराज

गुड़गांव (राम शर्मा)। बोधराज सीकरी मुख्य अतिथि का अगुवाई में दिनांक 20 जनवरी 2024 को स्वामी दयानंद मॉडल पब्लिक स्कूल माडल एक्सटेंशन पार्ट I में वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। स्वामी दयानंद मॉडल पब्लिक स्कूल जो आर्य समाज के तत्वावधान में अत्यंत गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, उसके इस कार्यक्रम में श्री बोधराज सीकरी जाने वाले समाजसेवी और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उनके साथ श्री दिनेश नागपाल मुख्य संरक्षक गुड़गांव होम डेवलपर्स एसोसिएशन, श्री नरेंद्र यादव प्रधान गुड़गांव होम डेवलपर्स एसोसिएशन, श्री ओमप्रकाश कथूरिया चेयरमैन ओम स्वीट्स भी मंच पर शोभायमान रहे। यहां के स्कूल के बच्चों ने सीधा फलाया रूप गाना रहे हैं ने अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रस्तुति प्रस्तुत करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नन्हें नन्हें बच्चों ने गीतोपदेश संस्कृत भाषा में अत्यंत स्पष्ट उच्चारण के साथ गाकर सबका मन गद्गद कर दिया।

इस स्कूल के प्रधान श्री कन्हैयालाल आर्य जो आर्य समाज के स्तंभ है और गुड़गांव की सभी आर्य समाज के प्रधान केंद्रीय आर्य सभा से श्री अशोक आर्य और अन्य गुड़गांव के आर्य समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बोधराज सीकरी के बारे में कन्हैयालाल आर्य जी ने विस्तार से उनका परिचय दिया। यहां के नन्हे नन्हे बच्चे काफी प्रभावित हुए कि कैसे एक मजदूर का बेटा, एक रेहड़ी वाले का बेटा, एक खोमचेवाले का बेटा सफल उद्योगपति बन सकता है। तदोपरान्त बोधराज सीकरी ने जहां स्कूल की मैनेजमेंट की इतना अच्छी प्रतिभा के लिए सराहना की। वहां उन बच्चों को भी आशीर्वाद दिया जिन्होंने इतनी अल्पायु में अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया।

बोधराज सीकरी ने राम मंदिर और पूरे विश्व के अंदर 205 देशों में से 100 में दीपोत्सव मनाने की सूचना दी और सभी से आग्रह किया कि 22 तारीख को उसे एक उत्सव की तरह मनाए और घर में दीपावली मनाए ताकि आने वाली पीढ़ी इस ऐतिहासिक पल को याद रखें।

बोधराज सीकरी ने अपने अनुभव के आधार पर राम तत्व की भी व्याख्या की और श्री नरेंद्र यादव ने अपने ओजस्वी भाषण से सबको बहुत प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के स्कूलों की सेवा हर व्यक्ति का फर्ज है क्योंकि यद्यपि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार का काम है परन्तु इतने बड़े विशाल देश में यह संभव नहीं हो पा रहा है। अतः सभी समाजसेवी संस्थाओं का कर्तव्य बन जाता है कि वे इस प्रकार के आयोजन में अपनी आहुति डालें।

अंत में श्री कन्हैयालाल आर्य जी, प्रो नंदा, श्रीमती कपूर, श्रीमती भाटिया ने आए हुए सभी महानुभावों का धन्यवाद किया और आयोजन भोजन प्रसाद के साथ संपन्न हुआ। ओम की ध्वनि के साथ कन्हैयालाल आर्य जी ने सभी का अभिवादन भी किया।

मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार विकास की राह पर अग्रसर : सांसद रामचंद्र जांगड़ा

रोहतक, (आरिफ शर्मा)। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जांगड़ा आज जिला के महम उपमंडल के गांव खरखड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। सांसद जांगड़ा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में दसवें नंबर पर थी। मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था पांचवें नंबर पर आ चुकी है और वर्ष 2026 तक यह तीसरे नंबर पर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से विकास का पहिया इसी प्रकार चलता रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुरूप वर्ष 2047 तक भारत दुनिया का सिरमौर देश होगा। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के करीब पौने दो लाख लोगों को जोड़ा गया है। इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों को योजनाओं के लाभ का हकदार बनाया गया। उन्होंने कहा कि लगभग 2 महीने के दौरान जिला की 142 ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

पुलिस से हाथापाई करने, पथराव करने व डीजे बजाने में दो आरोपी गिरफ्तार

सोनीपत (राजेश आहूजा)। थाना मुरथल की पुलिस टीम ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस मुलाजिमों के साथ हाथापाई करने, सरकारी गाड़ी पर पथराव करके शीशा तोड़ने व देर रात का डीजे बजाने की घटना में एक महिला शामिल दो और आरोपी गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार आरोपी सजीत पुत्र मानसिंह, पूनम पत्नी संजय वासी पबनेरा जिला सोनीपत के रहने वाले है। मुख्य सिपाही राजकुमार ने थाना मुरथल में शिकायत दी कि मैं व ड्राईवर गश्त करते हुए गांव पबनेरा की तरफ जा रहे थे गांव की फिरनी पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए मिले और बताया कि संजय पुत्र सावन वासी पबनेरा अपने घर के सामने तेज आवाज में डीजे लगाकर नाच गाना कर रहे है जिसको बन्द कराया जाये जो इस सूचना पर संजय के घर के आगे पहुंचे तो वहां पर काफी महिला, पुरुष व बच्चे डीजे लगाकर नाच गाना कर रहे थे जो मैंने व सिपाही जितेन्द्र ने वहां पर नाचने वाले व संजय पुत्र सावन को समझाने की कोशिश की रात काफी हो गई है और इस समय डीजे बजाना कानुनी गलत है आप लोग इसे बन्द कर दें लेकिन हमारे समझाने के बाद भी वह लोग नहीं माने जो इतनी देर में एक महिला हमारी गाड़ी के पास आई और कहने लगी मेरा नाम पूनम पत्नी संजय है डीजे तो ऐसे ही बजेगा।

जो तुमने करना है कर लो थोड़ी देर बाद 10-12 व्यक्ति भी हमारे साथ हाथापाई पर उतारु हो गये और उनमें से 2-4 व्यक्ति हमारी गाड़ी के आगे खड़े होकर कहने लगे हम तो डीजे ऐसे ही बजायेंगे जो तुमने करना है कर लो मै व मेरा साथी कर्मचारी झगड़ा बढ़ता देखकर गाड़ी को लेकर चलने लगे ताकि हम थाना से पुलिस इमदाद ले लें वैसे ही गाड़ी लेकर चलने लगे गाड़ी के आगे पूनम पत्नी संजय व अजय पुत्र मानसिंह गाड़ी के आगे खड़े हो गये इतने मे संजय पुत्र सावत, छोटू पुत्र बालकिशन, अजीत पुत्र मानसिंह व बिजेन्द्र पुत्र टेकचन्द गांव गढ़ी बोहर जिला रोहतक, चन्द्रभान पुत्र ईश्वर आदर्श नगर गोहाना हमारे साथ गाली गलौच व हाथापाई करने लगे।

Public Notice

[illegible]

Public Notice

I, Chameli Devi W/o Sh. Ram Kumar alias Ram Kumar Aggarwal R/o E-83, First Floor, Jhilmil Colony, Delhi-110095 do hereby declare that my husband Ram Kumar alias Ram Kumar Aggarwal (Who died on 02.12.2016) was the absolute owner of Entire First Floor (Upto Ceiling level) part of property No. E-83 situated at Jhilmil Colony, Delhi-110095 by virtue of Sale Deed duly registered at Doc. No. 12326, in addl. Book No. 1 Vol. No. 3671, at pages 41 to 47, dated 03.09.2008 in the office of Sub-Registrar VIII, Delhi.
That the original Sale Deed dated 03.09.2008 has been lost in the area of Jhilmil Colony, Delhi on 17.01.2024 and is not traceable. Also at I have lodged a online Police complaint vide LR No. 1354423/2024 dated 17.01.2024.

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना ई-निविदा संख्या-62/2023-24/EUDC-I GZB [illegible] 2500.00 विद्युत [illegible] 400 [illegible] दिनांक 06.02.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक [illegible] एवं 06.02.2024 को 10.00 बजे [illegible] https://etender.up.nic.in एवं [illegible] www.pvvnl.org पर देखा जा सकता है। [illegible] पत्रांक 2705/20.01.2024

In The Court of
Sh. Vikas Dhull, District Judge (COMM Court-02) Dwarka Courts, New Delhi.
Notice for Publication
(Order 5, Rule 20 of the CPC)
CS (COMM) No. 364/2023
State Bank of India ......**Plaintiff**
Vs
Rana Pratap .....**Defendant**
To,
A. Mr. Rana Pratap S/o Shri Tarkeshvar, R/o P3/334, Near Sultanpuri Police Station, B Block, North-West, Delhi-110086, M-782708860.
B. Mr. Rana Pratap S/o Shri Tarkeshvar, D/o Ministry of Railways Govt. of India, Northern Railway, Divisional Railway Manager Office, New Delhi-110055.
Whereas Plaintiff has instituted that above Commercial **Suit For Recovery** against the defendant. You are hereby summoned to appear in this Court in person or by a pleader on the **31st day of January 2024, at 10:00 O' clock** to answer the same, failing which the Suit will be disposed of ex parte.
Given under my hand and the seal of the court this **20th December 2023.**
Note: Defendant is informed to file written Statement along with Statement of Truthe and Affidavit of Admission and Denial of Documents within a period of 30 days from the date of receipt of summons with advance copy to the plaintiff.
Seal **Sd/-**
District Judge
(COMM, Court-02)
Dwarka Courts, New Delhi.

In The Court of
Sh. Paras Dalal, Commercial Civil Judge-cum-Addl. Rent Controller-cum-Administrative Civil Judge South District, Room No. 204, Saket Court Complex, New Delhi.
Succ. P. No. 138/2023
NDOH: 02.02.2024
Jatin Chopra
Vs.
State And Ors
(Memo of Parties)
Jatin Chopra S/o Late Sh. Som Prakash Chopra, R/o A-12, Hauz Khas, Delhi.
......**Petitioner**
Versus
1. The STATE (Govt. of NCT of Delhi), Through SDM South, Complex of DM South, MB Road, Saket, New Delhi
2. Competent Automobiles Co. Ltd., Through its Manager, Office at- Competent House, F-14, Connaught Circus, New Delhi-110001.
3. Neelam Chopra, W/o Late Sh. Som Prakash Chopra, R/o A-12, Hauz Khas, Delhi
4. Riti Goswami D/o Late Sh. Som Prakash Chopra, W/o Sh. Kunal Goswami R/o 48, Goswami Tower, 11th North South Road, Jai Hind Society, Juhu, Mumbai-400049.
.....**Respondents**
To,
The State/General Public
Whereas, an application U/S 372 of the Indian Succession Act, 1925 has been made by **Sh. Jatin Chopra** claiming to be successor of **Late Sh. Som Prakash Chopra**, for grant of Succession Certificate in respect of debts securities of said deceased.
And whereas the said applicant shall come for hearing on **02nd February 2024 at 10.00 A.M.**
Therefore, the public at large is hereby given notice if any person has objection to the grant of succession certificate in favour of the said applicant, he may appear and file objections in writing, in person or through duly appointed pleader, on the said date and time.
Given under may hand and the seal of the Court on this **18th day January 2024.**
Seal **Sd/-**
Commercial Civil Judge cum Addl. Rent Controller cum Administrative Civil Judge South District, Saket Court Complex, New Delhi.

In The Court of
Ms. Richa Gusain Solanki, ADJ-2, South West, Court No. 605, 6th Floor, District Court Complex, Dwarka, New Delhi.
Publication Notice Respondent
(Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure)
CS DJ ADJ. 401/2022
Sonu Kumar
Vs
Sanjay Kumar Singh
To.
Defendant
Sanjay Kumar S/o Sh. Mahesh Prasad Singh R/o Flat No. 42, Palm Green Apartment, Plot No. 3A, Dwarka Sec-11, New Delhi-110075.
Whereas you are intentionally evoiding service of summons. It is hereby notified that if you shall not defend the case on the **06.02.2024 at 10.00 A.M. i.e.** the day fixed in the matter, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the court on this **04.01.2024.**
Seal **Sd/-**
ADJ-2, South West, District Court Complex, Dwarka, New Delhi.

Proclamation Requiring Attendance of Defendant
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
In The Court of
Sh. Ajay Gupta, Ld. District Judge (Commercial Court)-05, West District, Delhi, Room No. 210, Extension Building (New), Second Floor, Tis Hazari Court, Delhi.
CS (Comm.) No. 413/2022
Union Bank of India .....**Plaintiff**
Vs
Vaishno Mata SHG & Ors .....**Defendant**
To,
Vaishno Mata SHG & Ors Village & Post- Dariyapur Khurd, Najafgarh, Delhi-110043.
Whereas you, in view of the reports already received, cannot be served in ordinary way. It is hereby notified that if you shall not defend the case on the **20th Day of Febuary, 2024** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the court on this **08th Day of January, 2024.**
Seal **Sd/-**
Ld. District Judge (Commercial Court)-05, West District, Tis Hazari Court, Delhi.

In The Court of
Sh. Paras Dalal, Commercial Civil Judge-cum-Addl. Rent Controller-cum-Administrative Civil Judge South District, Room No. 204, Saket Court Complex, New Delhi.
Succ. P. No. 132/2023
NDOH: 02.02.2024
Rekha
Vs.
State And Ors.
(Memo of Parties)
Rekha W/o Sh. Rajender Nagar R/o CPO 173, First Floor, Madangir, Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi-110062.
.....**Petitioner**
Versus
1. The State (GNCT of Delhi), Through SDM, Kalkaji, Tuglakabad Industrial Area, MB Road, New Delhi-110062.
2. Mrs. Usha S/o Sh. Rajesh, H. No. C-526, C-Block, Dakshinpuri, New Delhi-110062. Mob. No. 9650808841.
3. Mrs. Premwati @ Gauri, W/o Sh. Vijay, H. No. C-526, C Block, Dakshinpuri, New Delhi-110062. Mob. No. 9971080957.
4. Sh. Vijay Kumar S/o Sh. Nathu Ram, R/o L-76/7 Sangam Vihar, New Delhi-110080.
5. Punjab National Bank, Through its Manager, Devli Branch, Devli Road, Khanpur, New Delhi-110062
6. Bank of India, Through its Manager, Khasra No. 22/14/2, Block-C, Plot 200-B, Main Holi Chowk, Sangam Vihar, New Delhi
7. State Bank of India, Through its Manager, R/o 596-2, Bandh Road, Sangam Vihar, New Delhi-110080.
.....**Respondents**
To,
The State/General Public
Whereas, an application U/S 372 of the Indian Succession Act, 1925 has been made by **Smt. Rekha** claiming to be successor of **Late Sh. Rukmani Devi**, for grant of Succession Certificate in respect of debts securities of said deceased.
And whereas the said applicant shall come for hearing on **02nd February 2024 at 10.00 A.M.**
Therefore, the public at large is hereby given notice if any person has objection to the grant of succession certificate in favour of the said applicant, he may appear and file objections in writing, in person or through duly appointed pleader, on the said date and time.
Given under may hand and the seal of the Court on this **18th day January 2024.**
Seal **Sd/-**
Commercial Civil Judge cum Addl. Rent Controller cum Administrative Civil Judge South District, Saket Court Complex, New Delhi.

टिप्पणी एवं आदेश

मुख्य अभियन्ता (वितरण) गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

कृपया सादर संज्ञान में लाना है कि **अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–नवम, गाजियाबाद** ने अपने टिप्पणी एवं आदेश–8221 दिनांक 02.12.2023(छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया है कि कार्यक्षेत्र में ताज हाईवे से लेकर राहुल विहार मेन सड़क तक रोड निर्माण के कारण 4 नग 400 केवीए0 वितरण परिवर्तकों को स्थानान्तरित करने सम्बन्धी कार्य पूर्ण जमा योजना मद में **बाह्य एजेन्सी** के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि आपके कार्यालय पत्रांक–193, दिनांक 16.01.2024, जो कि मुख्य अभियन्ता(तकनीकी), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को सम्बोधित है, के माध्यम से सन्दर्भित प्रकरण में अंकन रू0 2.30 लाख एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जोकि अभी तक अप्राप्त है।

क्योकि उक्त कार्य मा0 विधायक श्री अतुल गर्ग विधानसभा, 56–शहर गाजियाबाद के निरन्तर अनुरोध एवं उत्तर प्रदेश प्रशासन व पावर कारपोरेशन प्रबन्धन के निर्देशानुसार जनहित में अतिशीघ्र कराया जाना है। अतः उपरोक्त कार्य की महत्वता को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि **प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति की प्रत्याशा** में उक्त कार्य **बाह्य एजेन्सी के माध्यम** से कराये जाने हेतु **अल्पकालीन ई–निविदा प्रकाशित करने हेतु अनुमति** प्रदान करने की कृपा करें। उक्त कार्य में **अनुमानित व्यय लगभग रू0–2.30 लाख** आने का अनुमान है।

(महफूज़ आलम)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति की प्रत्याशा में अल्पकालीन ई-निविदा प्रकाशन हेतु अनुमोदित

CHIEF ENGINEER (D)
GHAZIABAD ZONE
GHAZIABAD